हुक्म या कार्यवाहीमदइनिशियल्स

नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए।

धर्मेन्द्र VS रामस्वरूप वगैरह

T-9.

वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस अस्थायी निषेधाज्ञा सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17.1.01 को पेश हो। Sd/-

वकील पक्षकारान उप.। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नामा० सं. 375 के अनुसार विवादित आराजी के 1/3 हिस्से के सहखातेदार हरगोविन्द पुत्र हीराचन्द कौम मीना के फौत होने पर हलका पटवारी/गिरदावर ने हरगोविन्द की पुत्री गीता पुत्री हरगोविन्द के नाम पर नामान्तरकरण भरकर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत में पेश किया। ग्रामपंचायत ने रामस्वरूप दत्तक पुत्र हरगोविन्द के नाम पर नामा० स्वीकार किया। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद में मुख्य विवादित बिन्दु उक्त नामा० के माध्यम से हरगोविन्द की भूमि रामस्वरूप के नाम दर्ज होना ही है। वाद पर सम्पूर्ण सुनवाई साक्ष्य सबूतों के आधार पर होने के पश्चात् ही यह तय किया जा सकेगा कि हरगोविन्द की भूमि का सही हकदार कौन है। लेकिन दौराने वाद विवादित भूमि का बेचान कर दिया जावे या खुर्द-बुर्द कर दिया जावे तो वाद में होने वाले निर्णय को लागू करने में व्यवहारिक व न्यायिक कठिनाईयां उत्पन्न होगी। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने विवादित भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्ब… अहक… तामी…
	सबूत पेश नहीं किया है तथा वादी विवादित आराजी का न तो वर्तमान में खातेदार है तथा न ही सहखातेदार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम मसावता तह. सपोटरा की आराजी ख.नं. 78, 196, 249, 341, 900, 959, 960 में हिस्सा 1/3 (पूर्व में हरगोविन्द के नाम दर्ज हिस्सा) का बेचान नहीं करे, ना ही किसी दीगर से करावे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दावा हो तथा नम्बरान से कम हो।	